न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 97/2016

1. बलवन्तसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीतसिंह पुत्र रतनसिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——**अपीलार्थी**गण

बनाम

1. कशमीरसिंह पुत्र रतनसिंह जाति रायसिख निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. परमजीतसिंह पुत्र कशमीरसिंह जाति रायसिख निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
3. सुरजीतसिंह पुत्र कशमीरसिंह जाति रायसिख निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4. जसविन्द्रकौर पुत्री कशमीरसिंह जाति रायसिख निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. दीपाले कौर पुत्री कशमीरसिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

——**रेस्पोडेन्टान**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रेक)श्रीगंगानगर

दिनांक 17.05.2016

उपस्थिति

श्री ओमप्रकाश बतरा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिंह सिद्धु, अभिभाषक रेस्पो

निर्णय दिनांकः— 17.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय सहायक जिलाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की

1

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

धारा 188, 92ए पेश कर कथन किया कि वादी संख्या 1 के पिता व वादी सं0 2 के दादा इन्द्रसिंह को हिन्द–पाक विभाजन पर भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से चक 5 सी बडी के खाता संख्या 125/119 मु.न. 17 के कि.न. 13 से 20, 22 से 25 की 1.113 है0 भूमि आवंटन की गई थी। इन्द्रसिंह का देहान्त होने के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण के भाई रतनसिंह का चला आ रहा था। रतनसिंह के देहान्त के बाद रतनसिंह के वारिसान में जगीरो, प्रेमसिंह, दीपों, सोमाबाई एवं वादी की बहिन दीपो रानी ने अपना हिस्सा तर्क कर दिया। अतः वादीगण व प्रतिवादी सं0 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं0 5 के मन में बदनियती आई हुई है तथा वह इस भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा बेचान करना चाहता है जबकि उसको कोई अधिकार नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 2 से 5 को बार–बार आग्रह किया कि वादीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे एवं जबरन बेदखल करने से बाज व ममनू रहें लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। यही वादकारण पैदा हुआ है। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर कथन किया कि वादीगण के कथनों के अनुसार भूमि संयुक्त खाता की है एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध धारा 188, 92ए का दावा नहीं ला सकता। वादीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता हैं अतः वाद खारिज किया जावे।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 17.05.2016 को वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध वादीगण/अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपीलमीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अधी. न्यायालय ने तनकी सं0 2 का निर्णय सही नहीं किया है। अधी.न्यायालय में यह साबित था

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कि विवादित भूमि पर कब्जा अपीलांट का है, रेस्पो. का कभी कब्जा नहीं रहा है। अधी.न्यायालय ने तनकी सं0 3 का निणर्य सही नहीं किया है। अधी. न्यायालय को वाद में मुख्य रूप से वादीगण के कब्जा को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करना चाहिए था जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए वाद स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध एक सहखातेदार धारा 188 आर.टी.एक्ट का दावा नहीं ला सकता। अधी.न्यायालय ने दावा एवं जबाव दावा के आधार पर तनकीयात कायम की एवं प्रत्येक तनकी विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार विवादित भूमि इन्द्रसिंह को पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित की गई थी जिसकी मृत्यु के पश्चात इन्द्रसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है। अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध 188 आर.टी.एक्ट का वाद नहीं ला सकता। अधी. न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय दिनांक 17.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमीराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलाल श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी

1. बलवन्त सिंह पत्र इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. परमजीत सिंह पुत्र रतनसिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. कशमीरसिंह पुत्र रतनसिंह जाति रायसिख निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. परमजीतसिंह पुत्र कशमीरसिंह जाति रायसिख निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
3. सुरजीतसिंह पुत्र कशमीरसिंह जाति रायसिख निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4. जसविन्द्रकौर पुत्री कशमीरसिंह जाति रायसिख निवासी पंचकोसी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
5. वीरपालकौर पुत्री कशमीरसिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——**रेस्पोडेन्टान**

अपील संख्या 97 सन् 2016 व नाराजगी डिक्री अदालत सहायक जिलाधीश (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 17.05.2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 17 माह 07 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री इकबाल सिंह सिद्धू अभिभाषक रेस्पों. समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

17/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .....X.....) रुपये ..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17 माह 07 सन् 2017 को जारी किया गया।

17/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर